



कार्यालय वन संरक्षक यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून |
पंत्राक 1392 / 12-1 (1) दिनांक, देहरादून, नवम्बर 27
2015

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टौन्स वन प्रभाग, पुरोला ।

37-10/2015

जनपद ~~उत्तराखण्ड~~ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत मैन्ड्रथ-मंकवाड मार्ग के किमी 3.00 से बैगल मोटर मार्ग लम्बाई 6.00 किमी के निर्माण हेतु 4.950 हो वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

फॉर्म: FP/UK/ ROAD/16129 / 2015

संदर्भ:

महोदय,

उपरोक्त प्रस्ताव इस कार्यालय को औन लाईन प्राप्त हुआ है। प्रस्ताव का परीक्षण करने पर प्रथम दृष्ट्या निम्न कथियां पायी गई हैं :—

1- विषयाकित प्रस्ताव की हार्ड प्रति आपके स्तर से आतिथि तक अप्राप्त है, जबकि निर्देश दिये गये थे कि प्रस्ताव औन लाईन अपलोड करने के साथ-साथ हार्ड प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय।

2-वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव को अपलोड किये जाने हेतु श्री सुभाष कुमार दुरीयाल को नामित किया गया है, जबकि प्रस्ताव श्री सुमित जगुड़ी के द्वारा अपलोड किया गया है। इस संबंध में भारत सरकार के द्वारा भी आपत्ति लगायी गयी है, इस संबंध में प्राधिकृत पत्र सक्षम अधिकारी का अपलोड करवाया जाय।

3- भाग-2 हिन्दी प्रपत्र में अधिकांश बिन्दुओं पर सूचना हाँ अथवा नहीं के रूप में भरी गयी है, तथा अन्त में प्रभागीय वनाधिकारी के स्तर से प्रस्ताव को स्वीकृत किये जाने के संबंध में संस्कृति जबकि इस संबंध में पूर्व में पी0एम0जी0एस0वाई0 प्रस्ताव नगाणगांव से कुसिल में प्रारूप-2 नमूने के तोर में उपलब्ध कराया गया था, तदनुसार ही भाग-2 प्रारूप भरा जाय।

4- भाग-II (To be filled by the concerned Deputy Conservator of Forest) प्रपत्र के बिन्दु संख्या-7 में प्रस्तावित खल से वन सीमा की लगभग दूरी में “नो डाटा” अकित किया गया है, इस संबंध में यथास्थिति पर वन सीमा की दूरी किमी में दी जानी है। संख्या 14 में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के संबंध में गलत सूचना दी गई है। इसका परीक्षण करते हुए सही-सही सूचना दी जाय।

5- नाप भूमि ग्राम बैगल तथा तलवाड़ की अपेक्षित भूमि के संबंध में पृथक-पृथक सूचना दी जाय। अतःभारत सरकार एवं नोडल अधिकारी के स्तर से जारी चेक लिस्ट के अनुसार प्रस्ताव का भली प्रकार परीक्षण करते हुए अतिरिक्त अभिलेख ई0डी0एस0 के माध्यम से कवरिंग पत्र में उल्लेख करते हुए औन लाईन अपलोड करते तथा की गई कार्यवाही की हार्ड प्रति भी साथ-साथ उपलब्ध करायें। ध्यान रहे कि अस्पष्ट अधूरी सूचना कदापि न भेजी जायें।

आपके स्तर से औन लाईन प्राप्त प्रस्ताव औन लाईन वापिस लौटाया जाता है।

भवदीय

(आर०क०मिश्र)
वन संरक्षक,

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।

प्रतिलिपि- अधिकारी आभियन्ता, पी0एम0जी0एस0वाई0, सिंचाई खण्ड, पुरोला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
(आर०क०मिश्र)
वन संरक्षक,